

तारीख हुकम	हुकम वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मोतीलाल सिंधानिया निवासी भीलवाड़ा (राज०) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, भीलवाड़ा. प्रकरण संख्या :- 01/2024 जीसीएमएस नं. :- 2024/04 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुर
13-3-24	<p align="center">-: निर्णय :-</p> <ol style="list-style-type: none"> पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित । अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 12.12.2023 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु रेस्पोंडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है । लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, भीलवाड़ा ने जरिये पत्रांक/निर्वाचन/सू.अधि./2024/80325 दिनांक 15.02.2024 से इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर.टी.आई. अनुभाग द्वारा पुनः अपीलार्थी/प्रार्थी को लौटाया दिया गया है एवं निर्वाचन अनुभाग को प्राप्त नहीं हुआ है । अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें । हमने पत्रावली का अवलोकन किया । लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा कार्यालय को प्रस्तुत आवेदन पत्र पुनः प्रार्थी को ही लौटा दिया गया था । लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है । ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि रेस्पोंडेंट द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह रेस्पोंडेंट के जवाब से संतुष्ट है । अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है । निर्णय आज दिनांक 13-3-24 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो । 	



(नमित मेहता)

प्रथम अपीलीय अधिकारी

लोक सूचना एक्ट, 2005 के तहत, भीलवाड़ा

भीलवाड़ा